फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/18 [illegible] 6-18 को पेश हो	14/3/18
	6/18 [illegible] 7-18 को पेश हो	
	3/5/18 पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प पीलोडी में पेश हुई। वादी हरमुख के प्रा०प० कायम मुकाम पेश हुआ। न्यायहित मे वादी हरमुख के कायम मुकाम का प्रा०प० स्वीकार किया जाता है वादी हरमुख के कायममुकामान की ओर से श्री महावीर प्रसाद जैमन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित नही समझते है। न्यायहित मे विवादित भूमि की पत्रगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा वादी इस कदर निर्णित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं० 75,77 वाके ग्राम रायपुरा गुर्जर त० सिकराय के तहसीलदार सिकराय मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति मे नियमानुसार पत्रगढ़ी करे। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प पिलोडी मे सुनाया गया।	Identified Fatima

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner